ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी, विकास खण्ड व ज़िला सोलन, हि०प्र० – 173229
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी, विकास खण्ड व जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नरेन्द्र कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति निशा	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजेश कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुनील कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.			
2.	6.1	अनुदान राशि का अवरोधन करना	**12.68**
3.	7.1	पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.31**
4.	8.1	स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	**0.34**
5.	8.2	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को अनियमित भुगतान करना	**3.91**
6.	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.19**
7.	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**13.84**
8.	8.7	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	**7.22**
9.	8.8	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु	**29.85**

		स्वीकृत से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	
10.	9.1	मनरेगा के मस्ट्रोल का भुगतान माप पुस्तिका में अंकित कार्य के अनुरूप ना करने के कारण अनियमित व संदिग्ध भुगतान करना	**0.04**
11.	9.2	मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि का अनियमित भुगतान करना	**3.84**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी का अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक</u>

क्र० सं०	**पैरा सं०**	**नवीनतम स्थिति**
1.	3	विशेष अभियान के अन्तर्गत **निर्णित** Fin(LA)H(2)C(15)(XIV)339/24 Vol-1-894-926 दिनांक 19.02.2024
2.	4 (क)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
3.	4(ख)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
4.	5	विशेष अभियान के अन्तर्गत **निर्णित** Fin(LA)H(2)C(15)(XIV)339/24 Vol-1-894-926 दिनांक 19.02.2024
5.	6 (i)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
6.	6 (ii)	अनिर्णीत
7.	6 (iii)	अनिर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
8.	6 (iv)	विशेष अभियान के अन्तर्गत **निर्णित** Fin(LA)H(2)C(15)(XIV)339/24 Vol-1-894-926 दिनांक 19.02.2024
9.	6 (v)	विशेष अभियान के अन्तर्गत **निर्णित** Fin(LA)H(2)C(15)(XIV)339/24

		Vol-1-894-926 दिनांक 19.02.2024
10.	6 (vi)	विशेष अभियान के अन्तर्गत **निर्णित** Fin(LA)H(2)C(15)(XIV)339/24 Vol-1-894-926 दिनांक 19.02.2024
11.	6 (vii)	विशेष अभियान के अन्तर्गत **निर्णित** Fin(LA)H(2)C(15)(XIV)339/24 Vol-1-894-926 दिनांक 19.02.2024
12.	7	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
13.	8	अनिर्णीत
14.	9	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
15.	10	अनिर्णीत
16.	11	विशेष अभियान के अन्तर्गत **निर्णित** Fin(LA)H(2)C(15)(XIV)339/24 Vol-1-894-926 दिनांक 19.02.2024
17.	12	विशेष अभियान के अन्तर्गत **निर्णित** Fin(LA)H(2)C(15)(XIV)339/24 Vol-1-894-926 दिनांक 19.02.2024
18.	13	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
19.	14	निर्णीत
20.	15	निर्णीत
21.	16	निर्णीत
22.	17	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
23.	18	निर्णीत

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी, विकास खण्ड व ज़िला सोलन के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.04.2025 से 30.04.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	12/2022	10/2022
2023-24	01/2024	08/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 12/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया की नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 09/2025 दिनांक 24.04.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत :-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	323870.15	125683.00	449553.15	106786.65	342766.50
2023-24	342766.50	74379.40	417145.90	95988.31	321157.59

2. (क) अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	2066842.89	4958894.21	7025737.10	4337592.65	**2688144.45**
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	1174250.09	3917590.60	5091840.69	3823609.16	**1268231.53**

2 (ख) अनुदान

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2023-24 (14वां वित्तायोग)	87035.00	946.00	87981.00	87981.00	**0.00**
2023-24 (15वां वित्तायोग)	1426859.36	436582.00	1863441.36	548029.20	**1315412.16**

कुल योग (1+2 क व 2 ख) =321157.59 + 1268231.53+0+ 1315412.16+ 792.40(नगदशेष)= **29,05,593.68**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹ 29,05,593.68** तथा बैंक खातों की राशि के अन्तशेष **₹ 29,04,801.27 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को (₹)
1	14 वा वित्तायोग सभा निधि / SF,	HDFC बैंक लिमिटेड, सोलन	50100168340822	4457.00
2	सभा निधि / SF, 15 वा वित्तायोग (15TH FC)	Indusind बैंक लिमिटेड, सोलन	150000173229	1315412.16
3	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC) आपदा राहत कोष CRF 14 वा वित्तायोग	JCC बैंक, सोलन	101834022000025	983251.63

	गुरु रविदास नागरिक सुविधाएं उन्नयन योजना (GRCAGS)			
	मेम्बर ऑफ़ पार्लिमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)			
	मुख्यामंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)			
	नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM			
	सभा निधि / SF,			
	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)			
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY)			
	विकास में जन सहयोग (VMJS)			
4	सभा निधि / SF, 13 वा वित्तायोग (13TH FC)	JCC बैंक, सोलन	101834022000099	39160.00
5	सभा निधि / SF, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	JCC बैंक, सोलन	101834022100010	332355.00
6	सभा निधि / SF,	UCO बैंक कुमारहट्टी	05160100006359	230165.48
			जोड़ (क)	**2904801.27**
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-			**2905593.68**
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**2904801.27**
			अंतर :-	**792.41**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.01 लाख का अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹ 792.40** की राशि का अन्तर पाया गया इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक

30.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि खाता बही अपूर्ण है भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिये अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण वर्गीकृत सार तैयार नहीं किया गया है भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना व एक योजना के एक से अधिक खाते खोलना : -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये है व कुछ योजनाओं के लिए एक से अधिक खातों का प्रयोग किया जा रहा है, जोकि अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या
1	14 वा वित्तायोग	HDFC बैंक लिमिटेड, सोलन	50100168340822
	सभा निधि / SF		
2	सभा निधि / SF	Indusind बैंक लिमिटेड, सोलन	150000173229
	15 वा वित्तायोग (15TH FC)		
3	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	JCC बैंक, सोलन	101834022000025
	आपदा राहत कोष CRF		
	14 वा वित्तायोग		
	गुरु रविदास नागरिक सुविधाएं उन्नयन योजना (GRCAGS)		
	मेम्बर ऑफ़ पार्लिमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)		
	मुख्यामंत्री ग्राम पंथ योजना (MMGPY)		
	नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM		
	सभा निधि / SF		
	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)		

	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY)		
	विकास में जन सहयोग (VMJS)		
4	सभा निधि / SF	JCC बैंक, सोलन	101834022000099
	13 वा वित्तायोग (13TH FC)		
5	सभा निधि / SF	JCC बैंक, सोलन	101834022100010
	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)		
6	सभा निधि / SF	UCO बैंक कुमारहट्टी	05160100006359

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर व एक योजना केवल एक ही खाते का प्रयोग किया जाये व एक से अधिक खातों को बन्द करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन न करने: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता

अनुदान/निधि जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के आय व्यय का लेखांकन सभा निधि रोकड़ बही में किया जा रहा है ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया

था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹ 12.68 लाख का अवरोधन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 54,69,754.86** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को

अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (**Update)** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹0.31 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 24.04.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक Nil दिनांक 26.04.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹30,605.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर को संधारित कर लिया जायेगा व 31.03.2024 के जो भी राशि वसूली हेतु शेष थी, उसे वित्त 2024-25 की गृहकर राशि के साथ वसूल करके आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 दुकानों के किराये से आय:-

(क) दुकानों का किराया ₹ 0.05 लाख वसूली हेतु शेष :-

सचिव ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 को निम्न विवरणानुसार **₹5,000.00** दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे । जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ड़"** पर संलग्न है।

वर्ष	अथ शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2022-23	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00
2023-24	6000.00	6000.00	12000.00	7000.00	5000.00

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 13/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक: 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: Nil दिनांक: 30.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि वर्णित राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास किये जायेंगे। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए ।

(ख) दुकान के किरायेदारों के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी के अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ज्ञापन संख्या 13/2024/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.02.2025 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा दिए गये विवरण अनुसार दुकान के किरायेदार के साथ किराये के सम्बन्ध में या तो कोई भी लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन नही किया गया है या अनुबन्ध 2015 मे किये गये है और न ही पंचायत के पास इससे सम्बंधित सम्पूर्ण अभिलेख अर्थात माहवार दर, सम्बन्धित रजिस्टर लेजर तथा नियम व शर्ते इत्यादि उपलब्ध थी जिस कारण मासिक किराये की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्भव नही हो सकी। इसके अतिरिक्त जो अनुबंध 2015 में किया गया है, उसमें भी किराये की वार्षिक बढ़ौतरी की द्र को अन्कित नही किया गया है व वर्ष 2015 से **₹500.00** की दर से किराया लिया जा रहा है व खाली पड़ी दुकानों को किराये पर देना के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है।

अत: दुकान के किरायेदार के साथ नियमानुसार उचित दर से अनुबंध का कार्यान्वयन न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹0.02 लाख के राजस्व की हानि:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर दी गयी दुकानों के किरायेदारों से देय किराये पर GST की वसूली नही की जा रही है, जबकि नियमानुसार दुकानों के किराये पर @18% GST की वसूली की जानी अपेक्षित थी अंकेक्षण को उक्त पैरा संख्या 7.2 (क) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, ग्राम पंचायत की अवधि 2022-23 और 2023-24 के दौरान दुकानों के किराये के रूप में की गई कुल मांग ₹ 12,000/- पर देय GST 18% of ₹ 12,000/- = ₹ 2,160/- की वसूली उपरांत इसे सम्बंधित विभाग में जमा की जानी अपेक्षित थी, किन्तु नियमो के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा देय किराये पर GST की वसूली नही की गई

जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ड़ "** पर संलग्न है।

वर्ष	दुकान किराये के रूप में वार्षिक मांग (₹)	18% की दर से बकाया GST की राशि (₹)
2022-23	6,000.00	1,080.00
2023-24	6,000.00	1,080.00
कुल	**₹ 12,000/-**	**₹ 2,160/-**

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 13/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक: 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: Nil दिनांक: 30.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली, इस सन्दर्भ में ज्ञान के अभाव के कारण नही की जा सकी। जिसे वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा व आगे से मासिक किराये की वसूली GST सहित की जाएगी।

अत: दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.34 लाख के व्यय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹34,384.00** का व्यय किया गया था, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय के

दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " च "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 28.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या Nil दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा बित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 में कुल ₹ 34,384/- की राशि का भुगतान नगद रूप से किया गया है जोकि इससे सम्बन्धित जानकारी के अभाव के कारण हुआ है, भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹ 3.91 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

अवधि 04/2022 से 03/2024 के चयनित माह 10/2022 व 08/2023 में रेत,बजरी व पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु खरीद की गई निर्माण सामग्री के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "X"या "W" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न विवरण अनुसार ₹**3,90,984.00** का अनियमित भुगतान किया गया । जिसका विवरण **परिशिष्ट**

"छ" में दिया गया है उक्त प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनाँक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा क्रमांक संख्या Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा सम्बन्धी आपूर्तिकर्ता से उचितं फार्म को प्रस्तुत करने को कहा जायेगा व आगामी अंकेंक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जायगा व वभिष्य में बिना ट्रांजिट पास के किसी भी खनन समग्री के बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि क्रय की गयी रेत व बजरी से संबधित फार्म w या x अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.19 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारेः-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के व्यय चयनित माह 10/2022 व 08/2023 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹ 9,37,456.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि

का 2% की दर से राशि **₹18,723.18** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹ 13.84 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹13,84,473.57** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण

किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट – "झ"** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 अग्रिम राशि ₹0.12 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह 10/2022 व 08/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹11,885.20** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ञ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा।

प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं हैं।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.6 राशि ₹0.12 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 10/2022 व 08/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से सम्बन्धित मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ के Delivery/Transfer Challan के आधार पर **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹ 11,885.20** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

8.7 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹7.22 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्थायी स्टॉक रजिस्टर असंधारित है जिसके अभाव में चयनित व्यय माह 10/2022 एवं 08/2023 के बिल /वाउचरों के अनुसार पंचायत द्वारा **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹7,22,377.00** के भण्डार की स्टॉक प्रविष्टि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री/भंडार के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.8 विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि ₹29.85 लाख से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि **₹29,84,612.00** से सम्बन्धित प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " ठ "** में दिया गया है परिणामस्वरूप निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 30.04.2025 के अन्तर्गत तथ्यों की पुष्टि उपरांत बताया गया कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों विकास कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत न करना ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों के वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये विभागीय स्तर पर मामले को

उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर छानबीन एवं पड़ताल उपरांत समर्थित/वांछित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे

9.1 मनरेगा के मस्ट्रोल का भुगतान माप पुस्तिका में अंकित कार्य के अनुरूप न करने के कारण ₹0.04 लाख का अनियमित व संदिग्ध भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा अनुदान के अंतर्गत **₹ 3,960.00** राशि का अनियमित/ संदिग्ध भुगतान करना, जिसका विवरण **(परिशिष्ट - " ड ")** में सलग्न है । तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक द्वारा मस्ट्रोल संख्या 3397 दिनांक 31.08.2022 जिसका भुगतान माप पुस्तिका संख्या 032 पृष्ठ सं० 51 में की गई कार्य की पेमाईश के रूप में Skill/Semi Skilled Labour को किया गया है, लेकिन इस पृष्ठ पर केवल खुदाई के कार्य की गणना की गई है, जिस कारण यह भुगतान अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होता है ।

कार्य का नाम	**मस्ट्रोल संख्या / दिनांक**	**कार्य दिवस**	**माप पुस्तिका सं० / पृष्ठ सं०**	**कार्य**	**टिप्पणी**
नि० टैंक श्री लाभ सिंह पुत्र श्री दयाल चन्द	3397 / 31.08.2022	01.09.22 से 15.09.2022	032 / 51	Excavation in earth work	खुदाई के कार्य के लिए मिस्त्री (Skill Labour) को अनियमित व संदिग्ध भुगतान करना

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 10/2025/ कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: NIL दिनांक: 30.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि इस सन्दर्भ में तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, इस सन्दर्भ में उचित स्त्रोत से वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर लिया जायेगा व ग्राम रोजगार सेवक से भी इस अनियमित भुगतान के बारे में चर्चा कर ली गई है, इस सम्बन्धित दस्तावेज़ असन्धारित है

व भविष्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संधारण किया जायेगा, यह गलती जानकारी के आभाव के कारण हुई है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है व दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी से पूर्ण अभिलेखों सहित जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व पूर्ण अभिलेखों सहित अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएँ अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि ₹3.84 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि **₹3,83,796.46** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ढ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया

गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर शून्य दिनांक 30.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस सन्दर्भ में ग्राम रोजगार सेवक से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उन्होंने गलती के स्वीकार किया है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.05 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के

अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹5,250.00**, जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 28.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख को रोकड़ बही में लेखांकन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव, साधारण नियमों के प्ररूप-14 में रोकड़ बही बनाएगा। रोकड़ बही में प्रविष्टियां, संव्यवहार की तारीख पर आय और व्यय की प्रत्येक मद के साथ-साथ की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹650.00** का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	रसीद संख्या	रसीद दिनांक	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	टिप्पणी
1	देवानंद	2-Dec-22	6-Feb-23	400.00	400.00	6974	6-Feb-23	इन्द्राज नही है	
2	पंकज	10-Jun-23	6-Jul-23	50.00	50.00	143492	1-Nov-24	इन्द्राज नही है	बीपीएल परिवार
3	अक्षय	6-Jul-23	2-Aug-23	200.00	200.00	143493	1-Nov-24	इन्द्राज नही है	
कुल राशि					**650.00**				

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025/ कोरों कैंथड़ी दिनांक 28.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या Nil दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क को रोकड़ बही में इन्द्राज करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि को रोकड़ बही में इन्द्राज करना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.3 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार

तकनीक़ी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता	29(1)	07
4.	वर्गीकृत संक्षिप्त सार	29(4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	वेतन जाँच रजिस्टर	58	18
9.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
10.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
11.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
12.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
13.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

14.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	35	06
4.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
5.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
6.	कर रजिस्टर	34	16
7.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 115(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 26.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/कोरों कैंथड़ी दिनांक 30.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 30.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा

रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 30.6.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4067-4071 आ०/प्रति 30 JUN 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (4) 52/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 JUN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 30.6.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

आ०/प्रति

परिशिष्ट " क ", पैरा संख्या " 46961 " के सन्दर्भ में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP KORON KAINTHARI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	323870.15	125683.00	449553.15	106786.65	342766.50
2023-24	342766.50	74379.40	417145.90	95988.31	321157.59

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	2066842.89	4958894.21	7025737.10	4337592.65	2688144.45
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	1174250.09	3917590.60	5091840.69	3823609.16	1268231.53

ONLINE AUDIT						
GRANTS-IN AID	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
14TH FC	2023-24	87035.00	946.00	87981.00	87981.00	0.00
15TH FC	2023-24	1426859.36	436582.00	1863441.36	548029.20	1315412.16

Lisha
सचिव Lisha
ग्राम पंचायत, कोरों – कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ख ", पैरा संख्या " 4 क 6 " के सन्दर्भ में

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP KORON KAINTHARI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2022-23	128666.89	2267257.00	2395923.89	1851967.80	543956.09
		2023-24	543956.09	2225162.00	2769118.09	2131180.56	637937.53
2	VKVNY	2022-23	77423.00	98000.00	175423.00	155806.00	19617.00
		2023-24	19617.00	0.00	19617.00	0.00	19617.00
3	SBM	2022-23	103952.00	47040.00	150992.00	110492.00	40500.00
		2023-24	40500.00	0.00	40500.00	0.00	40500.00
4	VMJS	2022-23	5693.00	0.00	5693.00	0.00	5693.00
		2023-24	5693.00	0.00	5693.00	0.00	5693.00
5	SDP	2022-23	280052.00	0.00	280052.00	0.00	280052.00
		2023-24	280052.00	0.00	280052.00	0.00	280052.00
6	MMGPY	2022-23	90949.00	0.00	90949.00	0.00	90949.00
		2023-24	90949.00	0.00	90949.00	0.00	90949.00
7	13TH FC	2022-23	193483.00	0.00	193483.00	0.00	193483.00
		2023-24	193483.00	0.00	193483.00	0.00	193483.00
8	MNREGA	2022-23	0.00	1161964.21	1161964.21	1161964.21	0.00
		2023-24	0.00	1692428.60	1692428.60	1692428.60	0.00
9	14TH FC	2022-23	163988.00	0.00	163988.00	76953.00	87035.00
10	15TH FC	2022-23	1022636.00	1384633.00	2407269.00	980409.64	1426859.36

ONLINE AUDIT 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	14TH FC	2023-24	87035.00	946.00	87981.00	87981.00	0.00
2	15TH FC	2023-24	1426859.36	436582.00	1863441.36	548029.20	1315412.16

Nisha
सचिव Nisha
ग्राम पंचायत, कोरों – कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ग " , पैरा संख्या " 4 (ग) " के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी, विकास खण्ड व ज़िला सोलन, हि०प्र०, पिन-173229

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	14 वा वित्तायोग सभा निधि / SF,	HDFC बैंक लिमिटेड, सोलन	50100168340822	4457.00
2	सभा निधि / SF, 15 वा वित्तायोग (15TH FC)	Indusind बैंक लिमिटेड, सोलन	150000173229	1315412.16
3	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC) आपदा राहत कोष CRF 14 वा वित्तायोग गुरु रविदास नागरिक सुविधाएं उन्नयन योजना (GRCAGS) मेम्बर ऑफ़ पार्लिमेंट लोकल एरिया देवेलोप्मेंट स्कीम (MPLADS) मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM सभा निधि / SF, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP) स्वच्छ भारत मिशन (SBM) विधायक कषेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY) विकास में जन सहयोग (VMJS)	JCC बैंक, सोलन	101834022000025	983251.63
4	सभा निधि / SF, 13 वा वित्तायोग (13TH FC)	JCC बैंक, सोलन	101834022000099	39160.00
5	सभा निधि / SF, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	JCC बैंक, सोलन	101834022100010	332355.00
6	सभा निधि / SF,	UCO बैंक कुमारहट्टी	05160100006359	230165.48
			जोड़ (क)	2904801.27
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				2905593.68
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				2904801.27
			अंतर :-	792.41

Nisha
सचिव Nisha
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ख ", पैरा संख्या " 7.1 " के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत कोरों कैंथडी, वि० ख० व जिला सोलन, हि० प्र० - 173229

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर / ग्रहकर : -

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 350 का ₹ 100.00 तथा 2023-24 में 373 परिवारों का ₹ 100.00 प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से : -

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 32,900.00	350	₹ 100.00	₹ 35,000.00	₹ 67,900.00	₹ 59,295.00	₹ 8,605.00
2023-24	₹ 8,605.00	373	₹ 100.00	₹ 37,300.00	₹ 45,905.00	₹ 15,300.00	₹ 30,605.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 30605 /-** है।						

Nisha
सचिव Nisha
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ङ. ", पैरा संख्या " 7.2(क) व ग " केसन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान दुकानों के किराये से प्राप्त आय ₹ 0.05 लाख कम वसूलना व ₹ 0.02 लाख की राशि GST के रूप में कम वसूलने की सूचि

(क) ग्राम पंचायत द्वारा दुकानदारों से **₹5,000.00** की राशि वसूली हेतु शेष : -

क्रम संख्या	दुकान न० व पता	दुकान के अनुबन्ध की दिनांक	दुकान का प्रति माह कराया	वित्तीय वर्ष 2022-23				वित्तीय वर्ष 2023-24			
				अथशेष	मांग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेषराशि	अथशेष	मांग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेषराशि
01	दुकान सं० 1 30-09-2017से खाली है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	0	0	0	0	0	0	0	0
02	दुकान सं० 2 Veterinary MMAPY	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	0	0	0	0	0	0	0	0
03	दुकान सं० 3 31-12-2021 से खाली है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	0	0	0	0	0	0	0	0
04	दुकान सं० 4 रमेश शर्मा पुत्र श्री परमानदं गाँव कैंथड़ी	17.06.2015	500.00 (Fix)	0	6000	0	6000	6000	6000	7000	5000
05	दुकान सं० 5 2013 से खाली है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	0	0	0	0	0	0	0	0
			कुलराशी	**0**	**6000**	**0**	**6000**	**6000**	**6000**	**7000**	**5000**

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा GST के रूप में **₹2,160.00** की राशि वसूली हेतु शेष : -

वर्ष	दुकान किराये के रूप में वार्षिक मांग)₹(	18% की दर से बकाया GST) की राशि₹(
2022-23	6,000.00	1,080.00
2023-24	6,000.00	1,080.00
कुल	**₹12 ,000/-**	**₹2 ,160/-**

Lisha

सचिव Lisha

ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी

वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में स्वतः स्त्रोत से प्राप्त ₹ 0.34 लाख की राशि की आय को नगद रूप में अनुमित राशि से अधिक व्यय करने का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/7	26.04.2022	Paid to Jalpan Expenditure Vr. No. 16	5350
2	OWN/2022-23/P/28	26.11.2022	Paid to Tea Bill	12520
3	OWN/2022-23/P/43	06.02.2023	Paid to Tea Bill	2400
4	OWN/2022-23/P/44	06.02.2023	Paid to Tea Bill	4700
5	OWN/2022-23/P/48	06.03.2023	Paid to Office Expenditure	1894
6	OWN/2022-23/P/49	06.03.2023	Paid to Office Expenditure	1040
7	OWN/2022-23/P/50	06.03.2023	Paid to Office Expenditure	1145
8	OWN/2022-23/P/62	06.03.2023	Paid to Tea Bill	1500
9	OWN/2022-23/P/63	06.03.2023	Paid to Jalpan Expenditure	1500
10	OWN/2022-23/P/56	10.03.2023	Paid to Office Expenditure	1232
11	OWN/2022-23/P/66	23.03.2023	Paid to Fiber payment	1103
			कुल योग	**34384**

Nisha

सचिव Nisha
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ट1 ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 10/2022 व 08/2023 के दौरान आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशी ₹ 03.91 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
1	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2022-23/P/29 - 12.10.2022	064 / 10.10.2022	Sand	310	CFT	50	15500.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg.	600	CFT	54	32400.00	उपलब्ध नहीं है
2	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2022-23/P/33 - 12.10.2022	061 / 06.10.2022	Sand	320	CFT	50	16000.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg.	320	CFT	54	17280.00	उपलब्ध नहीं है
				Gatka	320	CFT	34	10880.00	उपलब्ध नहीं है
				Sand	50	CFT	50	2500.00	उपलब्ध नहीं है
3	R.B. CONSTRUCTION	5THSFC/2022-23/P/36 - 12.10.2022	096 / 08.03.2022	Agg.	135	CFT	54	7290.00	उपलब्ध नहीं है
				Gatka	840	CFT	34	28560.00	उपलब्ध नहीं है
4	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/30 - 20.10.2022	026 / 05.04.2022	Sand	290	CFT	50	14500.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg.	200	CFT	54	10800.00	उपलब्ध नहीं है
5	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/31 - 20.102.2022	044 / 01.07.2022	Sand	110	CFT	50	17908.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg.	214	CFT	54		
6	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/32 - 20.10.2022	046 / 03.07.2022	Sand	120	CFT	50	36477.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg.	230	CFT	54		
				Gatka	480	CFT	34		
7	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/34 - 20.10.2022	047 / 04.07.2022	Sand	350	CFT	50	43890.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg.	450	CFT	54		
8			048 / 05.07.2022	Agg.	214	CFT	54	11556.00	उपलब्ध नहीं है
				Sand	110	CFT	50	5500.00	उपलब्ध नहीं है
9	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/36 - 20.10.2022	051 / 02.08.2022	Sand	270	CFT	50	13500.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg.	80	CFT	54	4320.00	उपलब्ध नहीं है
				Stone	875	NOS.	16	14000.00	उपलब्ध नहीं है
10	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2023-24/P/35 - 01.08.2023	088 / 03.02.2023	Sand	75	CFT	50	15783.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg.	83	CFT	54		
				Gatka	200	CFT	34		
11	THAKUR CONSTRUCTION	MGNAREGA-Nil/26/08/2023	071/03.11.2022	Sand	350	CFT	50	17500.00	उपलब्ध नहीं है
12	THAKUR CONSTRUCTION	MGNAREGA-Nil/26/08/2023	072/04.11.2022	Bajri	50	CFT	54	2700.00	उपलब्ध नहीं है
13	THAKUR CONSTRUCTION	MGNAREGA-Nil/26/08/2023	027/01.04.2022	Bajri	60	CFT	54	3240.00	उपलब्ध नहीं है
14	THAKUR CONSTRUCTION	MGNAREGA-Nil/26/08/2023	028/01.04.2022	Sand	470	CFT	50	23500.00	उपलब्ध नहीं है
15	THAKUR CONSTRUCTION	MGNAREGA-Nil/26/08/2023	078/01.01.2023	Sand	400	CFT	50	20000.00	उपलब्ध नहीं है
16	THAKUR CONSTRUCTION	MGNAREGA-Nil/26/08/2023	079/02.01.2023	Bajri	100	CFT	54	5400.00	उपलब्ध नहीं है
							कुल राशि	390984.00	

Lisha

सचिव Lisha
ग्राम पंचायत, कोरों - कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कोरों कैंथडी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 10/2022 , 08/2023 व एक अनुबंध के आधार पर भुगतान की गई राशि के वोउचरों में स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.19 लाख अधिक भुगतान करने की सूची

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी (₹)	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
1	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2022-23/P/29 - 12.10.2022	064 / 10.10.2022	SAND	310	50	10000.00	2%	200.00
				AGG.	600	54			
2	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2022-23/P/33 - 12.10.2022	061 / 06.10.2022	SAND	320	50	48993.00	2%	979.86
				AGG.	320	54			
				GATKA	320	34			
				SAND	50	50			
3	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/30 - 20.10.2022	026 / 05.04.2022	SAND	290	50	14266.00	2%	259.38
				AGG.	200	54			
4	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/31 - 20.102.2022	044 / 01.07.2022	SAND	110	50	17908.00	2%	358.16
				AGG.	214	54			
5	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/32 - 20.10.2022	046 / 03.07.2022	SAND	120	50	36477.00	2%	729.54
				AGG.	230	54			
				GATKA	480	34			
6	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/34 - 20.10.2022	047 / 04.07.2022	SAND	350	50	43890.00	2%	877.80
				AGG.	450	54			
7			048 / 05.07.2022	AGG.	214	54	23110.00	2%	462.20
				SAND	110	50			
				SHATERING	1200 FT	20			
8	THAKUR CONSTRUCTION	XVFC/2022-23/P/36 - 20.10.2022	051 / 02.08.2022	SAND	270	50	36770.00	2%	735.40
				AGG.	80	54			
				SHATERING	160	20			
				STONE	875	16			
9	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2023-24/P/35 - 01.08.2023	088 / 03.02.2023	SAND	75	50	15783.00	2%	315.66
				AGG.	83	54			
				GATKA	200	34			
10	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2023-24/P/37 - 08.08.2023	075 / 10.11.2022	JCB MACHNE LNT 81NO	28 HRS	1600	50328.00	2%	1006.56
11	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2023-24/P/40 - 08.08.2023	094 / 12.04.2023	JCB MACHNE LNT 81NO	17 HRS	1600	26930.00	2%	538.60
12	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2023-24/P/38 - 08.08.2023	100 / 03.08.2023	JCB Bucket	47 Hrs	900	49796.00	2%	995.92
13	THAKUR CONSTRUCTION	5THSFC/2023-24/P/39 - 08.08.2023	099 / 02.08.2023	JCB Bucket	47 Hrs	900	49796.00	2%	995.92

Mishra

सचिव Mishra
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०

14	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/8/2023	071/03.11.2022	SAND	350CFT	50	18370.00	2%	367.40
15	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/8/2023	072/0/4.11.2022	BAJRI	50CFT	54	1241.00	2%	24.82
16	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	027/01.04.2022	BAJRI	60CFT	54	2231.00	2%	44.62
17	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	028/01.04.2022	SAND	470CFT	50	24320.00	2%	486.40
18	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	078/01.01.2023	SAND	400CFT	50	20983.00	2%	419.66
19	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	079/02.01.2023	BAJRI	100CFT	54	5665.00	2%	113.30
20	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	042/17.05.2022	SAND	900CFT	50	47250.00	2%	945.00
21	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	043/18.05.2022	SAND	360CFT	50	18900.00	22%	378.00
22	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	050/01.08.2022	PAVER BLOCK 80MM	1419	23	32485.00	2%	649.70
23	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	031/10.04.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852.00	2%	977.04
24	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	032/11.04.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852.00	2%	977.04
25	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	034/13.04.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852.00	2%	977.04
26	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	038/13.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852.00	2%	977.04
27	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	039/14.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852.00	2%	977.04
28	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	040/15.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852.00	2%	977.04
29	THAKUR CONSTRUCTION	NIL/26/08/2023	041/16.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852.00	2%	977.04
						कुल राशि	937456.00		18723.18

Misha
सचिव Misha
ग्राम पंचायत, कोरों - कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

48

परिशिष्ट " झ " , पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा माह 10/2022 सभी अनुदानों में व 08/2023 के दौरान 15 वाँ आयोग के अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक ₹ 13.84 लाख की की सूची

क्र०सं०	शीर्ष	काम का ब्योरा	वा० सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	VKVNY	निर्माण सामुदायिक भवन कोरों	5THSFC/2022-23/P/29 - 12.10.2022	THAKUR CONSTRUCTION	064 / 10.10.2022	SAND	310	50	15500	10000.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
						AGG.	600	54	32400		
2	NDRF	गुरम्मत लिंक रोड से गांव पड़नयाणी	5THSFC/2022-23/P/32 - 12.10.2022	HIM UDYOG	567 / 12.08.2022	RCC PIPE 600 MM	4	10000	104784	99648.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
						RCC PIPE 450 MM	3	9000			
						RCC PIPE 300 MM	2	8000			
						LABOUR	1	3800			
						FREIGHT	1	2000			
3	NDRF	गुरम्मत लिंक रोड गांव कैंथड़ी	5THSFC/2022-23/P/33 - 12.10.2022	THAKUR CONSTRUCTION	061 / 06.10.2022	SAND	320	50	16000	48993.00	
						AGG.	320	54	17280		
						GATKA	320	34	10880		
						SAND	50	50	2500		
4	MMRRY	गुरम्मत लिंक रोड मुख्य रोड लधेचघाट से कामाध्यालग	5THSFC/2022-23/P/35 - 12.10.2022	R.B. CONSTRUCTION	07 / 23.05.2021	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852	48852.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
			5THSFC/2022-23/P/36 - 12.10.2022		02 / 22.03.2021	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852	48852.00	
			5THSFC/2022-23/P/36 - 12.10.2022		096 / 08.03.2022	AGG.	135	54	7290	37303.00	
						GATKA	840	34	28560		
5	VKVNY	निर्माण सामुदायिक भवन कोरों	5THSFC/2022-23/P/41 - 18.10.2022	SANDEEP BROTHERS	7413 / 15.10.2022	STEEL 16MM	573 KG	60	43590	43590.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
						WINDING WIRE	15 KG	90			
						FREIGHT	2	1000			
6			5THSFC/2022-23/P/42 - 18.10.2022		7424 / 16.102.2022	STEEL 10 MM	555 KG	61	40197	40197.00	
						LOADING CHARGES	1	210			
7			5THSFC/2022-23/P/43 - 18.10.2022		7429 / 17.10.2022	STEEL 16MM	95.400 KG	60	39962	39962.00	
						STEEL 10 MM	92.200 KG	61			
						STEEL 12 MM	188 KG	59			
						STEEL 8MM	178 KG	62			
						NAILS	2KG	90			
						LOADING CHARGES	1	210			
8	15TH FC	निर्माण रास्ता पड़नयाणी	XVFC/2022-23/P/30 - 20.10.2022	THAKUR CONSTRUCTION	026 / 05.04.2022	SAND	290	50	14500	14266.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
						AGG.	200	54	10800		
9	15TH FC	निर्माण रास्ता धनखड़ से कोरों	XVFC/2022-23/P/31 - 20.102.2022	THAKUR CONSTRUCTION	044 / 01.07.2022	SAND	110	50	17908	17908.00	
						AGG.	214	54			
10	15TH FC	निर्माण रास्ता धार कैंथड़ी	XVFC/2022-23/P/32 - 20.10.2022	THAKUR CONSTRUCTION	046 / 03.07.2022	SAND	120	50	36477	36477.00	
						AGG.	230	54			
						GATKA	480	34			
11	15TH FC	निर्माण पेयजल टैंकी कोरों	XVFC/2022-23/P/34 - 20.10.2022	THAKUR CONSTRUCTION	047 / 04.07.2022	SAND	350	50	43890	43890.00	
						AGG.	450	54			
					048 / 05.07.2022	AGG.	214	54	11556	23110.00	
						SAND	110	50	5500		
						SHATERING	1200 FT	20	24000		
12	15TH FC	निर्माण बावड़ी कैंथड़ी	XVFC/2022-23/P/36 - 20.10.2022	THAKUR CONSTRUCTION	051 / 02.08.2022	SAND	270	50	13500	36770.00	
						AGG.	80	54	4320		
						SHATERING	160	20	3200		
						STONE	875	16	14000		
13	15TH FC	निर्माण बावड़ी कैंथड़ी	XVFC/2022-23/P/37 - 21.10.2022	JAI SHIV SHANKAR TRADERS	JSST/0373/22-23 - 17.06.2022	STEEL	69.9	60.8	5210	5210.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
						MS WIRE	1.500 KG	85			
14	VKVNY	गुरम्मत टैंक कैंथड़ी	5THSFC/2023-24/P/35 - 01.08.2023	THAKUR CONSTRUCTION	088 / 03.02.2023	SAND	75	50	15783	15783.00	
						AGG.	83	54			
						GATKA	200	34			
15	VKVNY	गुरम्मत टैंक कैंथड़ी	5THSFC/2023-24/P/36 - 01.08.2023	RAJ KUMAR	NA	CARRIAGE	1	3537.6	3537.57	3537.57	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
16	MMGPY	नि० लिंक रोड से गांव लधेच	5THSFC/2023-24/P/37 - 08.08.2023	THAKUR CONSTRUCTION	075 / 10.11.2022	JCB MACHNE LNT 81NO	28 HRS	1600	52864	50328.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
17	MMGPY	नि० लिंक रोड गोल से कैंथड़ी	5THSFC/2023-24/P/40 - 08.08.2023	THAKUR CONSTRUCTION	094 / 12.04.2023	JCB MACHNE LNT 81NO	17 HRS	1600	32096	26930.00	

Sumeet Kumar
G.R.S

50 - 44

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

क्र०सं०	शीर्ष	काम का ब्योरा	वा0 सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
18	NDRF	मुरम्मत महिला मण्डल भवन कोरों	5THSFC/2023-24/P/42 - 19.08.2023	HINDUSTAN SANITARY STORE	HSS-10520 / 05.08.2023	TILES 16*16	20 BOX	305.08	36600	36600.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
						TILES 24*24	15 BOX	691.53			
						TILES 12*18	54 BOX	266.95			
						W CEMENT	1 BAG	117.1			
19			5THSFC/2023-24/P/43 - 29.08.2023		HSS-12107 / 25.08.2023	TILES 12*18	11 BOX	266.55	3465	3465.00	
20	NDRF	लिंक रोड घाट से कामाख्यालय	5THSFC/2023-24/P/38 - 08.08.2023	THAKUR CONSTRUCTION	100 / 03.08.2023	JCB Bucket	47 Hrs	900	49914	49796.00	दो अखबारों में निविदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
21	NDRF	लिंक रोड घाट से लघेच रवालदू	5THSFC/2023-24/P/39 - 08.08.2023	THAKUR CONSTRUCTION	099 / 02.08.2023	JCB Bucket	47 Hrs	900	49914	49796.00	
23	MNREGA	निर्माण टैंक बीरू राम पुत्र श्री बाल्कीया राम	NIL29/10/2022	SANDEEP BROTHERS	6052/5/2/2022	STEEL	150 KG	55	9794	9735.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
24	MNREGA	निर्माण टैंक ओम प्रकाश पुत्र श्री लायक राम	NIL/29/10/2022	SANDEEP BROTHERS	6072/09.02.2022	STEEL	447 KG	57	30272	30066.00	
25	MNREGA	निर्माण टैंक प्रेम सिंह पुत्र श्री राम सरण	NIL/26/8/2023	THAKUR CONSTRUCTION	071/03.11.2022	SAND	350CFT	50	18375	18370.00	दो अखबारों में निविदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
				THAKUR CONSTRUCTION	072/0/4.11.2022	BAJRI	50CFT	54	2835	1241.00	
26	MNREGA	निर्माण टैंक चैन सुख पुत्र श्री दिला राम	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	027/01.04.2022	BAJRI	60CFT	54	3402	2231.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	028/01.04.2022	SAND	470CFT	50	24675	24320.00	
27	MNREGA	निर्माण टैंक मस्ति राम पुत्र श्री धनी राम	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	078/01.01.2023	SAND	400CFT	50	21000	20983.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	079/02.01.2023	BAJRI	100CFT	54	5670	5665.00	
28	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैंथड़ी से पड़गयाणी	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	042/17.05.2022	SAND	900CFT	50	47250	47250.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	043/18.05.2022	SAND	360CFT	50	18900	18900.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	050/01.08.2022	PAVER BLOCK 80MM	1419	23	38511	32485.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	031/10.04.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852	48852.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	032/11.04.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852	48852.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	034/13.04.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852	48852.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	038/13.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852	48852.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	039/14.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852	48852.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	040/15.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852	48852.00	
			NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	041/16.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852	48852.00	
									कुल राशि	1384473.57	

Sureel Kumar
G.R.S

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों - कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

-45-

परिशिष्ट " 7F ", पैरा संख्या " 8.5986 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के चयनित माह 10/2022 व 2023-24 के चयनित माह 08/2023 के दौरान सभा निधि अनुदान के अंतर्गत बिना मूल बिलों के ₹ 0.12 लाख की सामग्री के भुगतान की सूची जिसका एक वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया है व राशि ₹0.12 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत ना करने की सूचि

क्र० सं०	काम का नाम	ऑन्लाइन वा० सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	चालान सं० / दिनांक	मद का नाम मात्रा	संख्या	दर	कुल राशी	ब्यय राशी
1	नि० रास्ता रोड से बगोड़ी	(मनरेगा) Nil - 13.10.2022	HPSCSCL	15947 / 23.05.2022	Cement	40 बैग	297.13	11885.00	11885.20
								कुल राशि	**11885.20**

G Kumar
Sunil Kumar
G.R.S

Mishra
सचिव Mishra
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

46

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या "8.7 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 10/2022 व 08/2023 में क्रय किये गये ₹ 7.22 लाख की सामग्री की सूची जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	शीर्ष	काम का ब्योरा	वा0 सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि
1	NDRF	मुरम्मत लिंक रोड से गांव पडगयाणी	5THSFC/2022-23/P/32 - 12.10.2022	HIM UDYOG	567 / 12.08.2022	RCC PIPE 600 MM	4	10000	104784
						RCC PIPE 450 MM	3	9000	
						RCC PIPE 300 MM	2	8000	
2	NDRF	मुरम्मत लिंक रोड से गांव पडगयाणी	5THSFC/2022-23/P/36 - 12.10.2022	THAKUR CONSTRUCTION	096 / 08.03.2022	GATKA	840	34	28560
3	15TH FC	निर्माण रास्ता पडगयाणी	XVFC/2022-23/P/30 - 20.10.2022	THAKUR CONSTRUCTION	026 / 05.04.2022	SAND	290	50	14500
4	MNREGA	निर्माण रास्ता सड़क से बगोडी	NIL/13/10/2022	HP STATE CIVIL SUPPLIES	15947/23/05/2022	CEMENT	40	297.13	11885
5	MNREGA	निर्माण टैंक बीरू राम पुत्र श्री बाल्कीया राम	NIL29/10/2022	SANDEEP BROTHERS	6052/5/2/2022	STEEL	150 KG	55	9794
6	MNREGA	निर्माण टैंक ओम प्रकाश पुत्र श्री लाश्क राम	NIL/29/10/2022	SANDEEP BROTHERS	6072/09.02.2022	STEEL	447 KG	57	30272
7	MNREGA	निर्माण टैंक प्रेम सिंह पुत्र श्री राम सरन	NIL/26/8/2023	THAKUR CONSTRUCTION	071/03.11.2022	SAND	350CFT	50	18375
8	MNREGA	निर्माण टैंक प्रेम सिंह पुत्र श्री राम सरन	NIL/26/8/2023	THAKUR CONSTRUCTION	072/0/4.11.2022	BAJRI	50CFT	54	2835
9	MNREGA	निर्माण टैंक चैन सुख पुत्र श्री दिला राम	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	027/01.04.2022	BAJRI	60CFT	54	3402
10	MNREGA	निर्माण टैंक चैन सुख पुत्र श्री दिला राम	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	028/01.04.2022	SAND	470CFT	50	24675
11	MNREGA	निर्माण टैंक बस्ति राम पुत्र श्री घनी राम	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	078/01.01.2023	SAND	400CFT	50	21000
12	MNREGA	निर्माण टैंक बस्ति राम पुत्र श्री घनी राम	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	079/02.01.2023	BAJRI	100CFT	54	5670
13	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	042/17.05.2022	SAND	900CFT	50	47250
14	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	043/18.05.2022	SAND	360CFT	50	18900
15	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	050/01.08.2022	PAVER BLOCK 80MM	1419	23	38511
16	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	031/10.04.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852
17	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	032/11.04.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852
18	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	034/13.04.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852
19	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	038/13.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852
20	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	039/14.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852
21	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	040/15.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852
22	MNREGA	निर्माण लिंक रोड कोरो कैथडी से पडगयाणीं	NIL/26/08/2023	THAKUR CONSTRUCTION	041/16.05.2022	PAVER BLOCK 80MM	1800	23	48852
								कुल राशि	722377

Mishra
सचिव Mishra
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन

परिशिष्ट " ठ ", पैरा संख्या " 4.8 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 10/2022 व 08/2023 के निर्माण कार्यों ₹ 29.85 लाख राशि के से सम्बंधित कार्यों का प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशाशनिक स्वीकृति / कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर ऑर्डर व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने की सूचि

क्र० सं०	शीर्ष	कार्य का नाम	प्राक्कलन	स्वीकृति वर्ष	तकनीकी स्वीकृति सं०/ दिनांक	प्रशाशनिक स्वीकृति सं०/ दिनांक	स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि	माप पुस्तिका / पृष्ट संख्या	कार्य स्थिति (पूर्ण/ अपूर्ण)	फॉर्म 13C/ फॉर्म 34/35	कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	NDRF	गुरम्मत लिंक रोड लघेच से गांव कानाध्यालग	उपलब्ध नहीं है	2020-2021	उपलब्ध नहीं है	LPG/27-30/NDRF/2020-2021-30259-20-09-2021	200000	147500	46/56,58,59,70, 71 & 35/28	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
2	VKVNY	निर्माण सामुदायिक भवन कोरों	300000	2022-2023	1072/2022-2023	PLG.SLN.(F)5-1/2022 25-07-2022	300000	297000	2220/56,58	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं है
3	NDRF	गुरम्मत लिंक रोड से गांव गोल	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	उपलब्ध नहीं है	PLG/SLN/27-/NDRF/2021-22-40139 22-03-2022	150000	148500	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
4	NDRF	गुरम्मत लिंक रोड से गांव पडगयाणी	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	उपलब्ध नहीं है	PLG/SLN/27-/NDRF/2021-22-40139 22-03-2022	150000	97236	41/50,51	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
5	NDRF	गुरम्मत लिंक रोड गांव कैंथड़ी	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	उपलब्ध नहीं है	PLG/27-30/NDRF/2021-2022-40073 22-03-2022	150000	148500	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
6	NDRF	गुरम्मत लिंक रोड गांव लघेच से स्वालडु	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	उपलब्ध नहीं है	PLG/27-30/NDRF/2021-2022-40073 22-03-2022	150000	148500	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
7	MMRRY	MMRRY गुरम्मत लिंक रोड मुख्य रोड लघेचघाट से कानाध्यालग	उपलब्ध नहीं है	2017-2018	उपलब्ध नहीं है	SMS-1/2017-18-RDD-29-08-2017	500000	247500	35/18	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
8	VKVNY	अति राशि सामुदायिक भवन गांव पडदापाट	300000	2022-2023	1053/2022-2023	PLG.SLN.(F)5-1/2022 VKVNY-KASAULI-686-8725-07-2022	200000	199000	2220/54,55,56	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
9	15TH FC	अति राशि रास्ता रोड से कैंथड़ी	100000	2022-2023	1066/2022-2023	07/18-07-2022	100000	100000	2241/69	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
10	15TH FC	निर्माण रास्ता पडगयाणी	150000	2020-2021	1057/2022-2023	09/07.04.2022	148771	148771	2241/54	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
11	15TH FC	निर्माण रास्ता थनखड से कोरों	150000	2020-2021	1061/2022-2023	09/07.04.2022	103955	103955	2241/60	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
12	15TH FC	निर्माण रास्ता धार कैंथड़ी	124533.2	2021-2022	1062/2022-2023	09/07.04.2022	124533	123519	2241/64	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
13	15TH FC	निर्माण पेयजल टैंकी कोरों	200000	2021-2022	1063/2022-2023	09/07.04.2022	200000	200000	2241/58	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
14	15TH FC	निर्माण बावड़ी कैंथड़ी	136478	2020-2021	1056/2022-2023	09/07.04.2022	136478	128815	2241/55	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
15	VKVNY	गुरम्मत टैंक कैंथड़ी	उपलब्ध नहीं है	2020-2021	उपलब्ध नहीं है	PLG/1-6/2020-KASAULI-22495 24/03/2021	100000	77566	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
16	MMGPY	नि0 लिंक रोड से गांव लघेच	200000	2021-2022	1060/2021-2022	PLG.SLN(F)5-12/2021-MMGPY-37850DATED 15.02.2022	200000	198000	2220/61,63	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
17	MMGPY	नि0 लिंक रोड गोल से कैंथड़ी	175000	2022-2023	1070/2022-2023	1076/2022-2023	175000	173250	2220/60,61	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
18	NDRF	गुरम्मत लिंक रोड घाट से कानाध्यालग	उपलब्ध नहीं है	2022-2023	उपलब्ध नहीं है	PLG/27-30/R&B2022-23(NDRF)-1642	75000	74250	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
19	NDRF	गुरम्मत लिंक रोड घाट से लघेच स्वालडु	उपलब्ध नहीं है	2022-2023	उपलब्ध नहीं है	PLG/27-30/R&B2022-23(NDRF)-1642	75000	74250	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
20	NDRF	गुरम्मत महिला मण्डल भवन कोरों	उपलब्ध नहीं है	2020-2021	उपलब्ध नहीं है	PLG/27-NDRF/2020-2021-22392 24.03.2021	150000	148500	41/20,21	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
							कुल राशि	2984612					

- 48

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

Wagelist No- 1311005SW

परिशिष्ट "5", पैरा संख्या 9.1 के सन्दर्भ में

Entered In MIS..........

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT

Muster Roll(For Skilled / Semi Skilled Labour)

Signature of Issuing Officer with seal

State:HIMACHAL PRADESH | Muster Roll No. : 3397 | Muster Roll Printing date : 31/08/2022 | District:SOLAN | Block:Solan | Panchayat:KORO | Financial Year:2022-2023

Work Name : C/O Tank Lal Singh s/o Dyal Chand (GP Koro kainthri) | Technical sanction no & Date :1311005195/2022-2023/58525/TS(25/04/2022) | Financial sanction no & Date :1311005195/2022-2023/58525/AS(25/04/2022) | Work Code : 1311005195/IF/32288708

Date From :01/09/2022 Date To :15/09/2022

Executing Agency : Gram Panchayat | Name of Mate :

S.No	Name of Unskilled / Skilled labour	Name of Father/Husband	Age	Village	Labour Categorization			Account No.	Type of Labour	Signature/Thumb Impression of Applicant	Daily Attendence															Total Attendance	Wage Per Day	Amt Due Acc to Mea
					Caste	Gender	Whether BPL Family				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	खेमसिंह	s/o मनीराम	55	[illegible]	SC	M	—	—	SK	खेमसिंह	P	P	A	P	A	P	A	P	P	P	P	P	A	A	P	10	396	3960
2																												
										Total Attendance																10	Total	3960
										Signature of labour at sl.no. 1																		
										Signature of inspecting officer of muster roll with date																		
										Name and Designation of inspecting officer of muster roll																		

(Khem Singh s/o Mani Ram)

To be filled by JEN/TA

(A)Total Amount(In Rs.) of work during fortnight as per JEN/TA= 3960/- (In Rupees)

Measurement Book Details

Measurement Book No. 872 | Page No. 57 | Measurement date 19/9/22 (dd/mm/yyyy)

Signature of JEN/TA

PAYMENT AS PER TASK

Detail of Material received during the fortnight					Used Material		
S.No	Date(dd/mm/yyyy)	Name Of Material	Unit	Quantity	Name Of Material	Quantity	Amount

Evaluation of work and Utilization Certificate

Signature of JEN/TA

Signature of MATE | Gram Rozgar Sahayak | Junior Engineer

प्रधान
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि० ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

Passed for Rs. 3960/-

President

Sumeet Kumar
G.R.S

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों – कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

-58- 49

Particulars	Details of Actual Measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
2 Half brick masonry in c/m [illegible] [illegible]					
4 wall	2	1.75	–	2.20	7.70 m²
5 wall	1	1.70	–	2.20	3.74 m²
	1	1.70	–	[illegible]	1.02 m²
			Total		12.46 m²
Deduct Door	1	0.70	–	1.95	(–) 1.36 m²
					11.10 m²
@1283.x 11.10 m²					1424.00
			Total		7673.00
Less 1st Running bill for					4543.00
					12216.00
Amount restricted for					12,000.00

Passed for Rs. 10984/-

President

Name of work 2nd Running bill

Head: MNREGS

Agency: [illegible] G.P. Koran

Name of Work:- c/o Tank Lal Singh s/o Dayal Chand

Running bill part

Master Roll Reco 1/9/12 to 15/9/12

Date of measure 19/9/12

1. Excavation in earth work [illegible] of [illegible]

	No.	L.	B.	D.	Contents or area
	1	11.95	5.05	2.15	129.98 m³
@191.92 x 129.98					24210.00
					24210.00

III 3rd Running bill

Head: MNREGS

Agency: [illegible] G.P. Koran

Name of Work:- c/o Tank Lal Singh s/o Dayal Chand

Running bill part 5I

Master Roll Reco 16/9/12 to 23/9/12

C.P.W.A. 23

परिशिष्ट " 6 ", पैरा संख्या " 9.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.84 लाख के अनियमित भुगतान का पाया जाना

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount	REMARKS
1	C/o Pucca Floor, Urine Tank and fodder Trough for Cattle Shed Het Ram S/o Munu Ram Vill Gol (1311005195/IF/32138592)	IF	Ranveer Art	1930	7/5/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
2	C/O IHHL Puran Chand S/o Shadi Ram Kanadhayalag (1311005195/IF/32138593)	IF	Ranveer Art	1929	7/5/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
3	C/o Pucca Floor Urine Tank and Fooder Trough for Cattle Shed Sukh Ram s/o Geeta Ram (1311005195/IF/32158558)	IF	Ranveer Art	1928	7/5/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
4	C/O Pucca Floor Urine Tank and fodder Trough for Cattle shed Vijay s/o Chain Singh (1311005195/IF/32179714)	IF	Ranveer Art	2052	3/9/2022	4/11/2022	999.00	Paid without GST Bill
5	C/O IHHL Devender Kumar s/o Inder Dutt (1311005195/IF/32180352)	IF	Ranveer Art	2053	3/9/2022	4/11/2022	849.00	Paid without GST Bill
6	C/O Pucca Floor Urine Tank and fodder Trough for Cattle shed Keshwa Ram S/O Jagat Ram (1311005195/IF/32187307)	IF	Ranveer Art	2054	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
7	C/O Pucca Floor Urine Tank and fodder Trough for cattle Shed Rajkumar S/O Jhopa Ram (1311005195/IF/32187309)	IF	Ranveer Art	2055	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
8	C/O Tank Gopal singh S/O Prem Chand (1311005195/IF/32187310)	IF	Ranveer Art	2056	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
9	C/O Tank Kewal Ram S/O Shadi Ram (1311005195/IF/32187319)	IF	Ranveer Art	2057	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
10	Land Dev. Nand Lal S/O Daya Ram (1311005195/IF/32187322)	IF	Ranveer Art	2058	3/9/2022	4/11/2022	870.00	Paid without GST Bill
11	C/O Danga Om Parkash S/O Narayanu Ram (1311005195/IF/32187770)	IF	Ranveer Art	2059	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
12	C/O Pucca Floor Urine Tank and fodder Trough for cattle Shed Amar Singh S/O Runia Ram (1311005195/IF/32187775)	IF	Ranveer Art	2060	3/9/2022	4/11/2022	955.00	Paid without GST Bill
13	C/O Tank Jai Singh S/O Daya Ram (1311005195/IF/32187919)	IF	Ranveer Art	2061	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
14	C/O Danga Rajender s/o Roshan Lal (1311005195/IF/32188489)	IF	Ranveer Art	2062	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
15	C/O Tank Hukam Chand s/o Balak Ram (1311005195/IF/32189948)	IF	Ranveer Art	2063	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
16	C/O Tank Kishan Singh s/o Balak Ram (1311005195/IF/32190348)	IF	Ranveer Art	2064	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
17	C/O Tank Bal Kishan S/O Runiya Ram (1311005195/IF/32191391)	IF	Ranveer Art	2065	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill

Sunil Kumar
G.R.S

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount	REMARKS
18	C/O Danga Partap Singh s/o Sunder Singh (1311005195/IF/32192866)	IF	Ranveer Art	2066	3/9/2022	4/11/2022	964.80	Paid without GST Bill
19	C/O Tank Beeru Ram s/o Balkiya Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32241746)	IF	Ranveer Art	2067	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
20	C/O Danga Lachi Ram s/o Balkiya Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32244066)	IF	Ranveer Art	2068	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
21	C/O Tank Krishan Singh s/o Karam Singh (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32245870)	IF	Ranveer Art	2132	27/09/2022	1/10/2022	1000.00	Paid without GST Bill
22	C/O Danga Maan Singh s/o Luxmi Nand (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32245885)	IF	Ranveer Art	2069	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
23	C/O Tank Chint Ram s/o Durga Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32245931)	IF	Ranveer Art	2070	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
24	C/O Danga Lalit s/o Dila Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32248928)	IF	Ranveer Art	2071	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
25	C/O Danga Roshan Lal s/o Jhopa Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32248937)	IF	Ranveer Art	2129	27/09/2022	1/10/2022	1000.00	Paid without GST Bill
26	C/O IHHL Dev Raj s/o Jeet Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32248943)	IF	Ranveer Art	2072	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
27	C/O Danga Het Ram s/o Nandiya Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32248958)	IF	Ranveer Art	2073	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
28	C/O Danga Keshwa Ram s/o Moji Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32252647)	IF	Ranveer Art	2074	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
29	C/O Danga Om Prakash s/o Dila Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32270067)	IF	Ranveer Art	2076	3/9/2022	4/11/2022	1000.00	Paid without GST Bill
30	C/O Danga Nand Lal s/o Gyan Chand (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32285263)	IF	Ranveer Art	2130	27/09/2022	1/10/2022	1000.00	Paid without GST Bill
31	Land Development Poonam Devi (MM1BY) GP Koro Kainthri (1311005195/IF/32285674)	IF	Ranveer Art	2131	27/09/2022	1/10/2022	1000.00	Paid without GST Bill
32	C/O Pucca Floor Urine Tank and fodder Trough for Cattle shed Vijay s/o Chain Singh (1311005195/IF/32179714)	IF	SAKSHI ENTERPRISES	291	12/1/2022	24/05/2022	3371.56	
33	C/O Tank Gopal singh S/O Prem Chand (1311005195/IF/32187310)	IF	R. B CONSTRUCTION	31	28/08/2021	24/05/2022	5177.56	
34	C/O Tank Kewal Ram S/O Shadi Ram (1311005195/IF/32187319)	IF	R. B CONSTRUCTION	30	20/08/2021	17/06/2022	10429.64	
35	C/O Tank Jai Singh S/O Daya Ram (1311005195/IF/32187919)	IF	SAKSHI ENTERPRISES	193	26/09/2021	24/05/2022	7875.00	
36			SAKSHI ENTERPRISES	195	29/09/2021	17/06/2022	14121.98	
37	C/O Tank Hukam Chand s/o Balak Ram (1311005195/IF/32189948)	IF	MEHTA ENTERPRISES	13	1/10/2021	17/06/2022	29594.77	
38	C/O Tank Kishan Singh s/o Balak Ram (1311005195/IF/32190348)	IF	SAKSHI ENTERPRISES	264	4/12/2021	24/05/2022	4188.98	
39	C/O Tank Bal Kishan S/O Runiya Ram (1311005195/IF/32191391)	IF	R. B CONSTRUCTION	28	16/08/2021	17/06/2022	13465.72	
40	C/O Tank Beeru Ram s/o Balkiya Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32241746)	IF	SANDEEP BROTHERS	6052	5/2/2022	29/10/2022	9735.00	
41			R. B CONSTRUCTION	86	31/01/2022	24/05/2022	15948.98	
42			R. B CONSTRUCTION	87	1/2/2022	24/05/2022	3798.90	

Sunil Kumar
G.R.S

Nisha
सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
विo खo सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)

- 52

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount	REMARKS
43	C/O Danga Lachi Ram s/o Balkiya Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32244068)	IF	R. B CONSTRUCTION	71	2/1/2022	24/05/2022	4564.88	
44	C/O Danga Mean Singh s/o Luxmi Nand (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32245885)	IF	R. B CONSTRUCTION	90	4/2/2022	24/05/2022	7689.68	
45	C/O Tank Chint Ram s/o Durga Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32245931)	IF	R. B CONSTRUCTION	88	2/2/2022	24/05/2022	27634.98	
46	C/O Danga Het Ram s/o Nandiya Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32248958)	IF	R. B CONSTRUCTION	89	3/2/2022	24/05/2022	10307.86	
47	C/O Tank Om Prakash s/o Layak Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32252643)	IF	SANDEEP BROTHERS	6072	9/2/2022	29/10/2022	30065.22	
48	C/O Tank Om Prakash s/o Layak Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32252643)	IF	Ranveer Art	2461	1/6/2023	16/03/2024	1000.00	Paid without GST Bill
49	C/O Tank Krishan Singh s/o Karam Singh (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32245870)	IF	R. B CONSTRUCTION	102	2/4/2022	22/06/2023	23625.00	
50	C/O Tank Prem Singh s/o Ram Saran (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32248932)	IF	Ranveer Art	2270	16/01/2023	28/08/2023	1000.00	
51			THAKUR CONSTRUCTION	71	3/11/2022	26/08/2023	18369.42	
52			THAKUR CONSTRUCTION	72	4/11/2022	26/08/2023	1240.04	
53	C/O Tank Chain Sukh s/o Dila Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32249788)	IF	THAKUR CONSTRUCTION	27	1/4/2022	26/08/2023	2230.14	
54			THAKUR CONSTRUCTION	28	1/4/2022	26/08/2023	24319.98	
55			Ranveer Art	2271	16/01/2023	28/08/2023	1000.00	Paid without GST Bill
56	C/O Tank Om Prakash s/o Layak Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32252643)	IF	R. B CONSTRUCTION	126	2/5/2022	28/06/2023	12591.50	
57	C/O Tank Basti Ram s/o Dhani Ram (GP Koro Kainthri) (1311005195/IF/32254647)	IF	Ranveer Art	2273	16/01/2023	28/08/2023	1000.00	Paid without GST Bill
58			THAKUR CONSTRUCTION	78	1/1/2023	26/08/2023	20982.78	
59			THAKUR CONSTRUCTION	79	2/1/2023	26/08/2023	5664.69	
60			SANDEEP BROTHERS	8187	23/02/2023	1/9/2023	3111.62	
61	C/O Tank Lal Singh s/o Dyal Chand (GP Koro kainthri) (1311005195/IF/32288708)	IF	LAL N SONS ENTERPRISES	52	2/11/2022	28/06/2023	6552.96	
62			Ranveer Art	2272	16/01/2023	28/08/2023	1000.00	Paid without GST Bill
63			LAL N SONS ENTERPRISES	51	1/11/2022	28/06/2023	31499.82	
						TOTAL AMOUNT	383796.46	

Qmmm
Sunil
G. R. S

-8- 53

Nisha
सचिव Nisha
ग्राम पंचायत, कोरों-कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)